संख्या- 11/2022/82/तेइस-7-2022-91(सा0)/2021

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(व्यवस्थापन-ग वर्ग),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2022

विषय:- श्री वसी अहमद, हेल्पर, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, फतेहपुर के स्वयं की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-419व्यग/06व्यग(13)/2021, दिनांक 03-03-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री वसी अहमद, हेल्पर, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, फतेहपुर के स्वयं के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा रू0 23,97,056/- (रूपये तेइस लाख सत्तानबे हजार छप्पन मात्र) का वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-54 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-निदेशन-49-चिकित्सा व्यय " को संशोधित करते हुए उक्त भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-54 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन- 04-कार्यकारी-49-चिकित्सा व्यय " में किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में शासनादेश संख्या- 4/2022/683/तेइस-7-2021-91(सा0)/2021, दिनांक 11-01-2022 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री वसी अहमद, हेल्पर, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, फतेहपुर के स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा रू0 23,97,056/- (रूपये तेइस लाख सत्तानबे हजार छप्पन मात्र) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-54 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन- 04-कार्यकारी-49-चिकित्सा व्यय" के मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तद्नुसार शासनादेश संख्या-4/2022/683/तेइस-7-2021-91(सा0)/2021, दिनांक 11-01-2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश दिनांक 11-01-2022 में अंकित अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
अभय कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2022/82(1)/तेइस–7–2022-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी,बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, फतेहपुर ।
5- मुख्य अभियन्ता(मु0-2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज ।
7- अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़।
8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, फतेहपुर।
9- श्री वसी अहमद, हेल्पर, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, फतेहपुर निवास- मसवानी, जनपद- फतेहपुर,पिन कोड-212601
10- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,
अभय कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।